

Don't dare

...was paid for transfers and postings of bureaucrats and policemen. The plea alleged extraneous influence in tenders, arms licences and change of land use approvals to favour select builders.

CBI's reply stated that the agency would abide by HC's directions and conduct any investigation entrusted to it.

Punjab govt opposed the demand, describing ED's communications as politically motivated. Central agencies were being used against state administration, it alleged. Opposition parties sought an independent inquiry, alleging govt was shielding those named.

Appearing through counsel Ravi Gupta, CBI said it was not commenting on the merits of the allegations and

...played purported audio recordings of the alleged middlemen and cited other "evidence". He alleged Mann and his wife were taking bribes of Rs 5 crore each through middlemen to get rape cases closed. TNN

sought directions to Punjab authorities to preserve and hand over official files, electronic records and digital evidence if the investigation was transferred, to prevent tampering. The next hearing is on Sept 8.

The petitioner relied on communications sent by ED to Punjab DGP Gaurav Yadav under Sec 66(2) of PMLA, allegedly flagging an organised racket influencing postings of IAS and IPS officers. ED subsequently urged Punjab Police to register an FIR.

Kharge questions Modi's silence in Haldwani 'purification' row

Subodh Ghildiyal
@timesofindia.com

New Delhi: Doubling down on his allegation that he was insulted for being a Dalit by BJP supporters who "purified" the dais he had addressed a meeting from, Congress president **Malikarjun Kharge** on Thursday asked



PM Narendra Modi if he would have been as silent on "untouchability-purification" atrocity had he been a Dalit and a victim of such treatment.



Kharge also shot off a letter to BJP neta **J P Nadda** complaining that no action has been taken even after 24 days since he promised action in RS in the wake of the alleged purification at Haldwani. Kharge had raised the issue in RS on Aug 13, drawing an assurance from Nadda.

The Congress chief de-

manded an FIR be lodged against people involved in "purifying" the rally venue in Haldwani after his meeting, underlining that "this tradition of purification" is linked to "untouchability", going back to the treatment meted out to Dr Ambedkar after his "Mahad" movement.

BJP has denied the charge, with Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami saying people in the state did not know Kharge's caste and that some involved in "purification" were Dalits themselves. Two of them have since lodged an FIR under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act against Rahul Gandhi for repeating Kharge's charge.

In his letter, Kharge said the atrocity is not confined to him or Congress, but concerns crores of people who face this "cruel reality" routinely. He said no case had been lodged against perpetrators, while an FIR was registered against Rahul Gandhi for raising the issue. "They want to demoralise the person who fights for Dalits," he said.

Pay student ₹2 lakh for illegal arrest, orders HC

Bombay HC's Nagpur bench has directed Maha govt to pay Rs 2 lakh within 8 weeks to an Akola student, 26, for illegal detention. HC ruled the "policemen exceeded their limits and erred in arresting the petitioner without following law". Vaibhav Raghuvanshi, had said 2 cops forcibly picked him up on March 4, 2024, detained him overnight and later falsely denied seizing his cellphone. TNN

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Government of India, Ministry of Finance
Department of Finance Services, (Banking Division)
2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building), Residency Road,
Near Head Post Office, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001

Case No.: RC 482/2019 in O.A. No. 1239/2018

IDBI BANK LIMITED

Vs

M/s AGRASEN TRADERS

E-Auction No. 187/2026

Under mentioned properties will be sold by "on line e-auction" through website: <https://baanknet.com> for recovery of a sum of Rs. 23,89,877.00 (Rupees Twenty Three Lakh Eighty Nine Thousand Eight Hundred Seventy Seven only) payable by you/him in respect of Recovery Certificate in O.A. No. 1239/2018 issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur with interest at 12.00% p.a. with simple interest from 01-10-2018 and costs payable as per recovery certificate till realization.

Date and Time of E-auction: 28-10-2026 Between 12.00 Hours and 13.00 hours

SPECIFICATION OF THE PROPERTIES PUT FOR SALE

Lease hold commercial Shop/Office bearing Plot No. FA-75, Block No. 09, Comprising Area 538.00 Sq. Ft., bearing part of Khasra No. 397/1, Situated at Raipur Vikas Pradhikaran, Village Rawabhatha, Transport Nagar, Dr. Khubchand Baghel Ward, Ward No. 67, P.C. No. 100, R.I. Circle Dharsiwali, Tehsil and District - Raipur (C.G.) Property in the name of Late Ruchika Agrawal D/o Shri Purushottam Agrawal through her Legal Representative Shri Shiv Agrawal, H/o Late Ruchika Agrawal.

Upset/Reserve Price : Rs. 14,30,000.00 (Rupees Fourteen Lakh Thirty Thousand Only), EMD/Bid Price : Rs. 1,43,000.00 (Rupees One Lakh Forty Three Thousand Only)

Term and Conditions of Sale:

- All conditions of sale shall be governed by the provisions of the Recovery of Debts, and Bankruptcy Act, 1993 read with the Second & the Third Schedules to the Income Tax Act, 1961 and the Income Tax (Certificate Proceedings) Rules 1962 and also guided by the Information Technology Act 2000 as amended from time to time.
- Prospective bidder may avail online training from service provider: Name of Auction Agency - Bank Asset Auction Network (BAANKNET), Helpline Nos. - +91-82912 20220, Helpline Email Address - support.baanknet@psballiance.com, Bank Officer - Shri Santanu Chakraborty, Manager, Mob. No. 9830774479, Date and Time of property inspection - 13-10-2026 between 12.00 a.m and 4.00 p.m.
- Intending bidders are advised to go through website: <https://baanknet.com> for auction bid form and details, terms and conditions of sale before submitting their bids.
- Bids should be submitted only online in the prescribed form along with a copy of identity document viz. the copy of PAN Card, Address Proof and Identity Proof, E-mail ID, Mobile Number, in case of the company, copy of board resolution passed by the Board of Directors of the company or any other document confirming representation/attorney of the company as an attachment to the bid form. Bidder should satisfy himself with regard to correctness, measurement, encumbrances etc by their own sources (Govt. Office) also later on DRT will not be responsible for this.
- 10% of the upset price i.e. EMD/Bid price Rs.1,43,000.00 (Rupees One Lakh Forty Three Thousand only) must be remitted towards EMD deposited in Wallet Bank Asset Auction Network (BAANKNET) <https://baanknet.com> and the remittance must be clearly mentioned in the bid form.
- Bids should be submitted on or before 17.00 Hours on 26-10-2026 online.
- A copy of the bid form along with its enclosure submitted online may also be sent to Recovery Officer, DRT, Jabalpur, 2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building), Residency Road, Near Head Post Office, South Civil Lines, Jabalpur so as to reach at the earliest.
- Online bidding will commence from the highest bid quoted among the bids and the minimum increase for each bid will be Rs.15,000.00 (Rupees Fifteen Thousand only). In case of bid received before closure of Auction window, there shall be an automatic extension of 5 minutes in Auction time by the system.
- The refund of EMD of the unsuccessful bidders will be remitted to the same account from which the payment has been made and no inquiry in this regard will be entertained. After deposit of EMD by intending bidder they cannot withdraw the EMD amount until they are declared as "Unsuccessful bidder" otherwise the amount will be forfeited.
- In the case of immovable property listed in the schedule below, the highest bidder shall remit 25% of the bid amount (less EMD) on the next day on declaration, if the sale is knocked down in his/her favour, through RTGS/NEFT Current Account No. 5692799461 in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with CENTRAL BANK OF INDIA, DHOIGHAT BRANCH, JABALPUR (IFSC Code:CBIN0281618), and in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold and amount deposited as EMD will be forfeited.
- Highest bidder shall remit balance 75% of the sale amount along with poundage of 1% of sale amount plus Rs.10/- for each property separately within 15 days of auction, to the Current Account No. 5692799461 mentioned para No. 10 through RTGS/NEFT/Money Transfer, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office working day after 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of a fresh proclamation of sale. The deposit will be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
- Property will be sold "As is Where is and No Complaint basis".
- Properties will not be sold below the upset price.
- Recovery Officer have the absolute right to accept or reject the bid or postpone/cancel the sale without assigning any reason.
- Intending bidders are advised to peruse copies of the title deed available with the CH Bank and also check the identity and correctness of the property details and encumbrances etc from their own sources also. DRT will not be responsible for correctness of same.
- The bidders may participate in the e-auction by quoting / bidding from their own offices / places of their choice. Internet connectivity shall have to be ensured by each bidder himself. DRT / Bank / Service Provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, Power failure etc.
- Highest bid will be provisionally accepted on "subject-to-approval" basis and the highest bidder shall not have any right/title over the property until the sale is confirmed in his/her favour.
- The sale attracts Stamp Duty, Registration Charges, etc. as per relevant laws.
- Sale Certificate will be issued only in the name/names of the bidders whose name/names are mentioned in the bid form.
- No request for inclusion/substitution of names, other than those mentioned in the bid, in the sale certificate will be entertained.
- Bidders should not disclose their User ID as well as password and other material information relating to the bidding to anyone to safeguard its secrecy.
- Bidders may encounter certain unforeseen problems such as time lag, heavy traffic, system/power failure at the Bidders end. To avoid losing out on bidding because of above-mentioned reasons, it is advised not to wait for the last moment.
- The e-auction service provider, the officials of the Bank, including their men, agents, servants, etc., facilitating the e-auction sale, shall maintain absolute strict confidentiality of the particulars of the bidders participating in the e-auction sale.

(NEELSH KUMAR AWADHIYA)
RECOVERY OFFICER II

Place : Jabalpur Debts Recovery Tribunal, Govt. of India,
Date : 02-09-2026 Ministry of Finance Jabalpur (M.P. & C.G. States)

Connect to move
- Ritika Singh Sisodiya

Most inv
the next

Ai W

ET THE

Al in
W O F

THIS SUNDAY

Aksha

AI Innovator

At the inters
has empowe
analyse, and



Analyse Any
Stock In Minutes

Reserve Y

FOR QUERIES

Aman So

Email: aman

Phone: 807

छत्तीसगढ़

दैनिक भास्कर, रायपुर, शनिवार 5 सितंबर, 2026

09

आदमी की का सरख्ता के बाद समालाज रद्द न्याय करें' जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने दी जानकारी

भास्कर न्यूज़ | बितासपुर

फ जस्टिस सिन्हा के
अर्थात्काल में उठे
नहित के प्रमुख मुद्दे

बिबाकापुर मेडिकल कॉलेज में
वों की मौत की जांच। • सरकारी
हॉलों के खराब शौचालयों पर
सन से जवाब। • 1278 नए
चालाय और 710 की मरम्मत की
किया। • खराब सड़क से बुजुर्गों
। मौत पर स्वतः संज्ञान। • शराब
द्वारा के बाहर भीड़ और सड़क
जाम का मुद्दा। • खुले बिजली
तारों से मौत के मामले पर जवाब
नब। • चाइनीज मोड़ों से बच्चे की
त पर सख्ती। • आवारा मवेशियों
होने वाले हादसों पर शासन से
बाब। • अफसरों को अदालत
लाकर सीधे जवाबदेही तय की।

आरंग तहसील के निम्दा गांव में अवैध
खनन और महानदी में मलबा डंप
करने के मामले में राज्य शासन ने बड़ी
कार्रवाई की है। जनहित याचिका पर
राज्य सरकार की ओर से बताया गया
कि मामले में दोषी पाए गए सभी पट्टेदारों
की माइनिंग लीज रद्द कर दी गई है।
रायपुर जिले के निम्दा निवासी ओम
प्रकाश सेन ने जनहित याचिका लगाई
थी, इसमें बताया कि कुछ लोगों द्वारा
स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर जाकर फर्शी
पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा
है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया
गया है और खनन का मलबा महानदी
में फेंका जा रहा है। इन शिकायतों पर
संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारियों ने
जांच की और पर्यावरण संरक्षण मंडल ने
भी हस्तक्षेप करते हुए खनन गतिविधियों

को रोकने के निर्देश जारी किए। राज्य
शासन ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में
संबंधित क्षेत्र में कोई भी माइनिंग लीज
कार्यरत नहीं है। हाई कोर्ट ने मामले की
सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि राज्य
सरकार और पर्यावरण संरक्षण मंडल
द्वारा पहले ही उचित कदम उठाए जा
चुके हैं और पट्टे रद्द हो चुके हैं, इसलिए
इस जनहित याचिका में आगे की
कार्रवाई की फिलहाल आवश्यकता नहीं
है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को
निराकृत कर दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट
ने राज्य के अधिकारियों और पर्यावरण
संरक्षण मंडल को कड़ी निगरानी रखने
के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट
किया कि यदि भविष्य में लीज क्षेत्र के
बाहर कोई भी अवैध खनन या नदी में
मलबा डंप करने की घटना पाई जाती है,
तो कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई
सुनिश्चित की जाए।

पथ पर हरियाणा....

प्रस के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। स्टील उद्योग राज्य की
उत्पादन क्षमता और बढ़ते औद्योगिक निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे
क्षेत्र में हो रहे निरंतर प्रयास हरियाणा के मध्यवर्ती मजबूत आधार दे रहे हैं। स्कूलों और
दिया जा रहा है। बदलते समय की ज़रूरतों के अनुरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
ए जा रहे हैं। स्टील और शिक्षा, दोनों क्षेत्र प्रदेश की प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहे हैं।
कास को नई दिशा दे रहे हैं। उद्योग, शिक्षा और कौशल विकास का यह समन्वय हरियाणा



विद्यालय, का अद्भुत राय

हालत है, जहाँ
शिक्षा एक ही छत

हालत है, जहाँ
शिक्षा एक ही छत
विद्यालय हरियाणा
306 (संशोधित
एवं युजीसी एक्ट
है। यह संस्थान
और बहुआयामी
का उद्देश्य केवल
ज्ञान, कौशल और
करना है, जो देश
क्षेत्र पाठ्यक्रम में
न, वेटरनरी साइंस,
जंग टेक्नोलॉजी,
रू साइंस, इंटीरियर
नगरात्मक विषयों
समक्ष रोजगार की
। चयन करें अथवा
प्रम को उद्योग जगत
ते के अनुरूप तैयार

करना संस्कार
श्रमविद्यालय का
य विशेष साझेदारी
तो ज्यादा से ज्यादा
जाता है। अब तक
है।

टीपक कुमार गुप्ता मनीजित डायरेक्टर



P.S. Raj Steels Ltd., Hisar
विकास की योजना

● PSSR GROUP का उद्देश्य
केवल अच्छे उत्पाद उपलब्ध करना ही
नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
बढ़ावा देना, लंबे समय तक मजबूत
साझेदारी बनाना और बेहतर तकनीक व
नए विचारों के साथ भविष्य के लिए आगे
बढ़ना भी है। नए बाजारों और निर्यात
अवसरों पर बढ़ते ध्यान के साथ
PSSR अपने कारोबार को विकास के
अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर
रही है। कंपनी की आगे की योजना में
उत्पादन बढ़ाना, काम को बेहतर बनाना,
बिजली की लागत कम करना और नए
बाजारों तक पहुंच बढ़ाना शामिल है।



P.S. Raj Steels : 'आत्मनिर्भर भारत' से 'विकसित भारत' की ओर बढ़ता स्वदेशी विनिर्माण

सन 2004 में हिसार, हरियाणा से एक
ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में शुरू हुई
P.S. Raj Steels Ltd. (PSSR)
ने बीते दो दशकों में 'आत्मनिर्भर
भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप खुद
को उत्तर भारत में वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब की एक
प्रमुख सूचीबद्ध निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित किया है। तीन एकड़
में फैली कंपनी की आधुनिक विनिर्माण सुविधा में 250 से अधिक
उत्पाद कॉन्फिगरेशन तैयार किए जाते हैं। आज 21 राज्यों में फैले
व्यापक डीलर नेटवर्क के माध्यम से PSSR के उत्पाद इंफ्रास्ट्रक्चर,
रेलवे, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण
औद्योगिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं।

देश के 'विकसित भारत' के लक्ष्य में योगदान देते हुए PSSR ने
कई राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परियोजनाओं में अपने उत्पादों के
माध्यम से भागीदारी की है। कंपनी के स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब
का उपयोग दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट, राम मंदिर, लाल किला,
काशी विश्वनाथ और तिरुपति बालाजी जैसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं
में किया गया है। ये परियोजनाएं कंपनी की विनिर्माण क्षमता और
उत्पादों पर ग्राहकों के भरोसे को दर्शाती हैं।

19 फरवरी 2025 को NSE Emerge पर कंपनी की लिस्टिंग
उसकी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही। लिस्टिंग के बाद
कंपनी का फोकस उत्पादन क्षमता को 20,000 MTPA तक बढ़ाने,
रणनीतिक रूप से रॉ मटेरियल की खरीद, लागत नियंत्रण और नए
बाजारों में कारोबार का विस्तार करने पर है। साथ ही, उत्पादन इकाइयों
में सोलर एनर्जी के उपयोग के जरिए बिजली लागत और कार्बन फुटप्रिंट
को कम करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। आधुनिक मशीनरी
और तय मानकों के साथ कंपनी अलग-अलग उद्योगों की ज़रूरतों को
बेहतर गुणवत्ता और सटीकता के साथ पूरा करती है।

जंग वसुली अधिकार
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त प्रभाग)
डिप्टी एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रजिडेंसी रोड,
हिड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ दिल्ली लॉन, जयपुर- (म.प्र.) 482001
प्रकरण संख्या : आरसी 482/2019 / ओ.ए. संख्या 1239/2018
ई-नीलामी संख्या 187/2026

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड वि. से. अग्रेसर ट्रेडर्स एवं अन्य में पॉल्ट वसुली प्रमाण पत्र क्रमांक आरसी नं.
आरसी 482/2019/ओ.ए. नं.1239/2018 में जारी राशि की वसुली हेतु प्रमाण पत्र रु. 23,89,877.00 (रुपए तेईस
लाख नवसौ हजार आठ सौ सत्तर मात्र) तथा उस पर 12.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिनांक
01.10.2018 से व्याज एवं वसुली हेतु निर्दिष्टित संपत्ति अर्न्तगत ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाइट
<https://www.baanknet.com> के माध्यम से की जाएगी।

ई नीलामी की तिथि एवं समय :- 28-10-2026 दोपहर : 12.00 से 01.00 बजे तक
संपत्ति की अनुसूची

विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण :- स्व. कृषिका अग्रवाल पिता श्री परमवीर अग्रवाल द्वारा उनके
वैधानिक प्रतिनिधि श्री विजय अग्रवाल पति स्व. कृषिका अग्रवाल के नाम पर लीज होल्डर स्वयंसेवक
दुकान/कार्यलय भूखण्ड क्र. एफए - 75, ब्लॉक क्र. 09 चम्पलित क्षेत्रफल 538.00 वर्गफीट, खसरा
क्र. 397/1 का भाग, रायपुर विकास प्राधिकरण, ग्राम - रांभागा, टांगपोट नगर, डॉ. खुबचंद बघेल
वाड़ी, वाई क्र. 67, पी.सी. क्र. 100, रायपुर - धराली-1, तहसील व जिला - रायपुर (छ.प्र.)
आरक्षित/न्यूनतम मूल्य :- रु. 14,30,000.00 (रुपए चौदह लाख तीस हजार मात्र); धरोहर जमा राशि :-
रु. 1,43,000.00 (रुपए एक लाख तिरास हजार मात्र)

विक्रय की शर्त एवं नियम

- विक्रय की सभी शर्तें श्रेणी की वसुली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आन्तरिक
अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आन्तरिक (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ
पठित प्रावधानों द्वारा शासित होगी तथा समय-समय पर कृषिसेवा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के
प्रावधानों से भी निर्देशित होगी।
- इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
नीलामी एजेंसी - Bank Asset Auction Network (BAANKNET), हेल्पलाइन नं. - + 91-82912
20220, हेल्पलाइन ईमेल - support.baanknet@psb.alliance.com, बैंक अधिकारी - श्री सानु
चक्रवर्ती, प्रबंधक, मो. नं. - 98307 74479, संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय - 13-10-2026
दोपहर 12:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक।
- इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तें हेतु वेबसाइट <https://baanknet.com>
का अवलोकन करें।
- बोलीपत्र (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्येक बोली के साथ पैर
काई की प्रती, जो का प्रमाण, पहचान-पत्र, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि सलान करना
अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा पॉल्ट बोर्ड प्रस्ताव (Board
Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिलिपि व (Power of
Attorney/Authorization) की प्रमाणित प्रति वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ सलान
किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण, क्षेत्रफल / भाग, प्रमाण (Encumbrances), दायित्वों तथा
अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संश्लेषित सरकारी कार्यवाही
अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हो लें। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली
किसी भी त्रुटि, विमर्श, कमी अथवा विवाद के लिए अग्र वसुली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।
- आश्रित मूल्य का 10% अर्थात् रु. 1,43,000.00 (रुपये एक लाख तिरास हजार मात्र) ईमेल की
रूप में BAANKNET बॉलेट में जमा करना होगा तथा सक्षम विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।
- ऑनलाइन बोली दिनांक 26-10-2026 को संध्या 5:00 बजे तक प्रपत्र की जा सकेगी।
- ऑनलाइन प्रपत्र बोली प्रपत्र एवं सलाना की प्रति वसुली अधिकारी, डीआरटी, जयपुर, डिप्टी एवं तृतीय
तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रजिडेंसी रोड, मुखा डाकघर के निकट, दक्षिण दिल्ली
लॉन्स, जयपुर की यथारूप प्रेषित की जाएगी।
- ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्राप्त होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम बुद्धि रु.
15,000.00 (रुपये पंद्रह हजार मात्र) होगी। नीलामी समाप्त से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा
नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बन्ना दिया जाएगा।
- अस्पष्ट बोलीदाताओं की ईमेल आईडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में
कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईमेल की जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा
अन्यथा राशि जमा कर ली जाएगी।
- स्वायत्त संपत्ति के मामले में संपन्न उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर,
बोली राशि का 25% (ईएमडी पट्टाकर) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धौबीघाट शाखा, जयपुर पर
तत्सुली अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जयपुर, चालू खाता संख्या 5692799461।
RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। एक ही राशि पर संपत्ति पुनः
विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ईएमडी जमा कर ली जाएगी।
- सफल बोलीदाता को शेष 75% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त
रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित चालू खाता संख्या
5692799461 में आर्टीगिज (RTGS) / एफएएटी (NEFT) / मनी ट्रान्स्फर के माध्यम से जमा
करना होगा। यदि पट्टावर्ती दिनांक अथवा अन्य अवसर का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात् आने वाले
प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के
विक्रय हेतु नवीन विक्रय उपरोक्षण (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी।
ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला
क्रेडिट (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना
समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।
- संपत्ति का विक्रय "जैसी है जहाँ है तथा बिना किसी विवाद के आधार पर" (As is Where is and No
Complaint Basis) किया जाएगा।
- संपत्ति का विक्रय आश्रित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
- वसुली अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय
स्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान,
विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।
- बोलीदाता अपने इच्छापूर्वक किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी
बुद्धिमान कलम उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम क्रैश या विद्युत व्यवधान के लिए
डीआरटी / बैंक / सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होगा।
- इच्छुक बोली - अनुमोदन के अंतर्गत - अस्पष्ट रूप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक
बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।
- विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेडिट द्वारा वसूल किए जाएंगे।
- विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों / व्यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिन्होंने नाम बोली प्रपत्र में
उल्लिखित है।
- विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित
करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- बोलीदाता अपने वृत्त आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी भी प्रकट न करें।
- बोलीदाताओं को समय मिलान, अधिक टैकिंग, मिस्टेक / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना
पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।
- ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई-नीलामी में भाग लेने वाले
बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

(नीलामी अधिकारी)
वसुली अधिकारी II
स्थान : जयपुर
दिनांक : 02.09.2026
जंग वसुली अधिकरण, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय जयपुर (म.प्र. तथा छ.प्र. राज्य)